संख्या।749/नौ–9–2010–58ज/2000

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनॉक 30 दिसम्बर, 2013

विषयः–नागर स्थानीय निकायो हेतु वर्ष 2013–14 के लिए कर–करेत्तर राजस्व वसूली के लक्ष्य का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1253/नौ–9–2013–58ज/2000 दिनांक 14 अगस्त, 2013 के क्रम में अपने पत्र संख्या–सांख्यिकीय सेल(च)/19/कर–करेत्तर दिनांक 23 अगस्त, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 14.08.13 द्वारा गत वर्ष 2012–13 में स्थानीय नागर निकायों हेतु निर्धारित कर–करेत्तर राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान वर्ष 2013–14 में नगर निगमों/जल संस्थानों तथा नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के लिये कर–करेत्तर का लक्ष्य 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है। प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14.08.13 मे निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) जिन नागर निकायों के द्वारा गत वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष अधिक राजस्व वूसली की गयी है तथा जहा राजस्व वसूली की अधिक सम्भावना है, उनके वर्तमान लक्ष्य को गत वर्ष के वास्तविक रूप से की गयी वसूली से 20 प्रतिशत वृद्धि की जाती है।

(2) नगर पालिका परिषद, बांदा, बिलारी, नजीबाबाद एवं नगर पंचायत अमेठी, सुमेरपुर (हमीरपुर) तथा चित्रकूटधाम मण्डल के जल संस्थान सहित कुल 26 नागर निकायों के द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत लक्ष्य को कम करने की मांग की गयी है उनके वर्तमान लक्ष्य पूर्ववत रखा जाय।

(3) नगर पंचायत दौराला का वर्तमान लक्ष्य उनके आग्रह पर 38.00 लाख रूपये किया जाता है।

(4) शेष सभी नागर निकायों का वर्तमान वसूली लक्ष्य गत वर्ष के लक्ष्य से 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्धारित किया जाता है।

3– प्रदेश की कतिपय नागर निकायों द्वारा कर–करेत्तर राजस्व में वृद्धि हेतु कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया जा रहा है अपितु कर–करेत्तर राजस्व वृद्धि के लक्ष्य को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 की वसूली निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त कम रही है, तथा उनके द्वारा कर–करेत्तर वसूली को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश की नगरीय निकायों की आर्थिक

go-y

संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित कराने हेतु निकायों द्वारा सार्थक प्रयास किया जाना होगा। इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश भी दिये गये है। अतः प्रस्तर–2 में उल्लिखित संशोधन निम्न शर्त के साथ किया जाता है कि :–

(1) वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु नगरीय निकायों द्वारा अपने आर्थिक संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये सार्थक प्रयास करेंगे तथा कर–करेत्तर राजस्व वसूली की छमाही प्रगति रिपोर्ट निदेशक स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा समस्त निकायों के कर–करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुये समेकित रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(2) कर–करेत्तर राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली करने वाली निकायों के सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कर–करेत्तर राजस्व वसूली की प्रगति रिपोर्ट समय–समय पर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
28/12/2013
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबन्धक, जल कल विभाग उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय।)
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

go-y